न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 50 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. प्रेमाराम पुत्र सकाराम
2. छगनाराम पुत्र सकाराम
3. चम्पाराम पुत्र सकाराम
4. गंगा पत्नी सकाराम जाति नाई निवासी भाखरपुरा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तगाराम पुत्र लालजी
2.अजा पुत्र लालजी
3.शिवजी पुत्र लालजी
4.घेवा पुत्र लालजी
5.प्रतापा पुत्र लालजी जाति रावणा राजपूत निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
6.भगा पुत्र वरजांगा जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी
7.शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुड़ामालानी
8.श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 64 / 2018 बअनवान तगा वगै. बनाम भगा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 669 रकबा 35.05 बीघा ग्राम मगा की ढाणी, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 209 / 1 रकबा 30 बीघा व खसरा संख्या 209 / 2 रकबा 30 बीघा सिन्धासवा चौहान प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन के साथ रेस्पोडेंट द्वारा जो नक्शा पेश किया है उसमें प्रार्थी की भूमि के उतर दिशा का नक्शा साथ में जानबुझकर पेश नहीं किया जबकि प्रार्थीगण उतरदाता की भूमि से केवल 50 फुट की दुरी पर खसरा संख्या 668 के पास सरकारी कटाण रास्ता उपलब्ध है जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट में जो भूमि पर जो रास्ता की दिखाई है उस भूमि पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है एवं टांका बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन के साथ रेस्पोडेंट द्वारा जो नक्शा पेश किया है उसमें प्रार्थी की भूमि के उतर दिशा का नक्शा साथ में जानबुझकर पेश नहीं किया जबकि प्रार्थीगण उतरदाता की भूमि से केवल 50 फुट की दुरी पर खसरा संख्या 668 के पास सरकारी कटाण रास्ता उपलब्ध है जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अपीलांट की आपतियों का निस्तारण नहीं करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट में जो भूमि पर जो रास्ता की दिखाई है उस भूमि पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है एवं टांका बना हुआ है। अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में दिनांक 11.11.2019 को प्रार्थना–पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत पेश किया जिससे न्यायालय के सामने वस्तुस्थिति का पता चल सके जिसका निस्तारण करने के बाद अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना न्यायोचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 669 रकबा 35.05 बीघा ग्राम मगा की ढाणी, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 03.08.2019 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते पर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं है संलग्न नक्शे दर्शित बिन्दु ए पर घास–फूस की झोपड़ी बनाई हुई है। इस रिपोर्ट से अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। विप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 209/1 के खातेदार द्वारा रास्ते हेतु भूमि उक्त खसरे में से 0.06 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दी गई है जिससे अपीलाधीन रास्ते का उपभोग कर सके। इसलिए न्यायालय हाजा अपीलांट के आवेदन बाबत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का कोई औचित्य नहीं समझता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 64/2018 बअनवान तगा वगै. बनाम भगा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 को यथावत रखा जाता है।

15/11/19

(नाथूसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner